न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी – जगदीश आर्य

प्रार्थना पत्र संख्या 49 / 2021 तारीख रजू 05.04.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

..........प्रार्थी

बनाम

1. शिवचरण पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर
2. सुशीला पत्नि शिवचरण गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर

.......अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 19.07.2024

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण शिवचरण पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर, सुशीला पत्नि शिवचरण गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 362 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम बिलोली नदी में आदेश दिनांक 26 / 05 / 2000 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 362 रकबा 0.51 है0 पर भू.अ. निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर उक्त आराजी खसरा नम्बर 362 में खनन हो चुका है। मौके पर भूमि पड़त है। आवंटियों द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। अप्रार्थीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने ,प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 362 रकबा 0.51 है0 पर भू.अ. निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर उक्त आराजी खसरा नम्बर 362 में खनन हो चुका है। तथा मौके पर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर आवंटन शर्तों की

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पालना नहीं की गई है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण को जारी नोटिस क्रमांक 313 एवं 314 दिनांक26/03/2024 बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात भी अप्रार्थीगण शिवचरण पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर, सुशीला पत्नि शिवचरण गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर नियत पेशी दिनांक 09/04/2024 एवं उसके पश्चात आगामी पेशियों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा न हीं अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अतः अप्रार्थीगण के न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण शिवचरण पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर, सुशीला पत्नि शिवचरण गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर को आराजी ख0 नम्बर 362 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम बिलोली नदी आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर उक्त आराजी खसरा नम्बर 362 में खनन हो चुका है। तथा अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है एवं भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 362 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम बिलोली नदी पर पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बिलोली नदी के आराजी खसरा नम्बर 362 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम बिलोली नदी को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर